



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अलवर में पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ का हैड कानिस्टेबल एवं उसका दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 02 जुलाई, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. अलवर-प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये मुरारीलाल मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर एवं उसके दलाल मंगल खॉं मेव (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर-प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दी गई कि उसके एवं उसके परिजनों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में आरोपियों के नाम निकालने की एवज में मुरारीलाल मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा उसके दलाल मंगल खॉं मेव (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में ए.सी.बी. अलवर-प्रथम इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपीगण मुरारीलाल मीणा हैड कानिस्टेबल, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर एवं उसके दलाल मंगल खॉं मेव (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से 40 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपीगण से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।